**लोक सभा में 16 मार्च, 2012
को पुरःस्थापित रूप में**

2012 का विधेयक संख्यांक 11

[दि फाइनेंस बिल, 2012 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2012

**वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 112 तक 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

http://indiabudget.nic.in